न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 09/2017

1. हरदत पुत्र श्योराम जाति मेघवंशी पेशा खेती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-सायल

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र श्योराम जाति मेघवंशी पेशा खेती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- गैरसायल

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री बलवंत सिंह : सायल
वकील श्री कालूराम शर्मा : **गैरसायल**
निर्णय **दिनांक :** 22-2-19

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर में सायल के पिता की खाता सं0 322/322 के खसरा सं0 272 की 2.290 है0 यानी 9 बीघा एक बिस्वा, खसरा सं0 273 की 3 बीघा 5 बिस्वा, यानी 0.8220 है0 खसरा सं0 591/741 की 4 बिघा 5 बिस्वा, खसरा सं0 614 की 15 बीघा 10 बिस्वा, यानी 3.9200 है0 कुल भूमि 32 बिघा 1 बिस्वा यानि 8.094 है0 स्थित है।

उपरोक्त भूमि में से गैरसायल ने अर्सा पूर्व अपने हक हिस्सा की मानकर 4 बिघा भूमि अपनी लड़की की शादी करने के लिए फरीकैन मुकदमा व उनके पिता की सहमति से खेमाराम मेघवाल को बेचान कर उसकी तमाम रकम प्राप्त की और उससे अपनी लडकी की शादी की थी, क्योंकि उस समय तमाम भूमि फरीकेन के पिता के नाम थी। इसलिए रजिस्ट्री फरीकेन मुकदमा के पिता को ही करवानी थी। उक्त रजिस्ट्री खसरा संख्या 272 की 4 बिघा की करवाई गयी थी।

गैरसायल द्वारा अपने हक हिस्सा की 4 बिघा भूमि बेचान करने के बाद उसके हक हिस्सा की खसरा संख्या 272 की 1.2770 है0 भूमि शेष रह गयी जो वह काश्त करता आ रहा है तथा सायल व दावा के प्रतिवादी नं0 2 हनुमान, खसरा सं0 273, 614 वा 592/741 की 5.8170 है0 भूमि काश्त करते आ रहे है।

गैरसायल लक्ष्मण ने 4 बीघा के बैयनामा के समय कहा था कि यह भूमि उसके हक हिस्सा की बेचान हुई है तथा इसी कारण मौजूदा समय वह अन्य भाईयों से चार बिघा भूमि कम काश्त कर रहा है। फरीकेन के पिता के गुजरने के बाद हल्का पटवारी ने जब विरासतन इंतकाल दर्ज दिया तो उसने कहा कि अब इंतकाल तो तीनों के बराबर दर्ज होगा लेकिन बाद में तुम गैरसायल लक्ष्मण से 4 बिघा की दस्तबरदारी करवा लेना अब ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने पर गैरसायल ने दस्तबरदारी करने से टालमटोल करने लगा और अब वह शराब पीकर हमेशा कहता है कि वह अपने नाम दर्ज तमाम भूमि काश्त करेगा तथा सायल के नाम कोई दस्तबरदारी नहीं करवाऐगा। यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णिय क्षति पहुंचती है जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

दरख्वास्त पेश होने के पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी ने जबाबदावा मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद भूमि रोही मौजा मलसीसर के खाता 322/322 के खसरा सं0 272 की 1.277 है0, खसरा सं0 273 की 0.8220 है0, खसरा सं0 591/741 की 0.0750 है0, खसरा सं0 514 की 3.9200 है0 कुल 4 खसरों की 7.0840 है0 में सायल व गैरसायल लक्ष्मण व हनुमान प्रत्येक 1/3 हिस्सा – 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मन गैरसायल अपने 1/3 हिस्सा की भूमि को काश्त करता आ रहा है जो गैरसायल के कब्जा काश्त में है एवं गैरसायल अच्छी में से अच्छी व न्याउ में से न्याउ बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड खाता विभाजन करवाकर अपने 1/3 हिस्सा में आये टक का अलग से कब्जा सम्पुष्ट करवा पाने का मजाज कानूनी है। सायल जबरिया मन गैरसायल के 1/3 हिस्सा में ताकत व हिंसा के बल पर दखल अन्दाजी कर रहा है इसलिए सायल के कृत्य से मन गैरसायल को अपूर्णीय क्षति पहूंच रही है मिन गैरसायल सायल के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का मज़ाज कानूनी है कि सायल रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 322/322 के खसरा सं0 272 की 1.277 है0, खसरा सं0 273 की 0.8220 है0, खसरा सं0 591/741 की 0.0750 है0, खसरा सं0 514 की 3. 9200 है0 कुल 4 खसरों की 7.0840 है0 में प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 हक व हिस्सा की कृषि भूमि में स्वयं या अन्य आदमियों की मार्फत मिन गैरसायल सं0 1 के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें एवं गैरसायल सं0 1 के 1/3 हिस्सा पर काश्त करे, फसल उठावे, एवं अतिक्रमण कर कब्जा नहीं करें।

प्रार्थी ने जबाबुल जबाब दरख्वास्त मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन कि गैरसायल लिछमण ने उक्त कथन गलत दर्ज करवाया है कि खेताराम को 4 बीघा कृषि भूमि गैरसायल की सहमति से श्योराम ने विक्रय न की हो। यह भी कथन गलत दर्ज करवाया है कि श्योराम शराब व पोश्त का नशा करता था और गांव के शेर मोहम्मद, सदीक अन्य से भारी कर्जा लिया हो और उसको उतारने के लिए भूमि विक्रय की हो और यह भी कथन गलत दर्ज करवाया है कि गैरसायल लक्ष्मण जनाणा में कृषि भूमि काश्त करता हो और 1990 में ओमप्रकाश सहारण की भूमि काश्त की हो, गैरसायल ने उक्त कथन काउंटर क्लेम का झूठा आधार बनाने के लिए झूठा दर्ज करवाया है। कांउटर क्लेम मय दरख्वास्त काबिले खारिज है।

जबाब दरख्वास्त मय काउन्टर क्लेम की मद सं0 4 गैरसायल ने उक्त कथन गलत दर्ज करवाये है कि सायल द्वारा जबरिया गैरसायल की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर अच्छी भूमि पर काबिज करने पर आमादा हो और गैरसायल के पास 1/3 हक व हिस्सा की कृषि भूमि हो। उक्त कथन गैरसायल ने गलत दर्ज करवाया है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं0 2 हनुमान की पुत्रियों की शादी में हनुमान ने अपने हिस्से में से 4 बिघा भूमि कम करवाकर खेताराम को विक्रय कर दी। उस समय भूमि श्योराम के नाम थी इसलिए श्योराम ने 4 बीघ की रजिस्ट्री करवाई। इस प्रकार दरख्वास्त प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि बैयनामा पेश नहीं किया है जिसे भूमि बेची उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। कब विवाह किया उल्लेख नहीं किया है। श्योराम ने अपने पूराने कर्जे को उतारने के लिए भूमि विक्रय की है। इस प्रकार दरख्वास्त प्रार्थी खारिज किये का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 322/322 के खसरा सं0 272, 273, 591/741 व 614 की कुल 7.0840 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी लक्ष्मण, हनुमान 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड दर्ज में है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सगे भाई है एवं वादभूमि विरासतन प्राप्त हुई है। केवल मात्र प्रार्थी के मौखिक कथनों के आधार पर काश्त नहीं करना या दस्तबरदारी नहीं करवाने को साक्ष्य सबूत नहीं माना जा सकता है एवं अप्रार्थी सद्भावी खातेदार काश्तकार है जिसको अपने हिस्से में दर्ज भूमि को काश्त करने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग करने का अधिकार है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से में दर्ज भूमि को अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता व माल अलग दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी ने ना ही तो बैयनामा पेश किया हैं वादभूमि जिसकी बेचान की गई थी उसको प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र केवल मौखिक आधार पर एवं तथ्यों को घुमाकर पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है। अप्रार्थीगण ने जबाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि किसी भी सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है साथ ही अप्रार्थी काउन्टर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है।

अत : उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी व जबाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22-2-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़